न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS

राजस्व अपील सं0 23/2023 (GCMS 2023/28)

अपीलांटगण	बनाम	रेस्पोडेण्टगण
1. लूणें खां पुत्र इलमदीन 2. जमती पुत्री इलमदीन 3. हिदायता पुत्री इलमदीन 4. रफीक पुत्र इलमदीन 5. बकती पत्नी इलमदीन सर्वे जातियान मुसलमान निवासी ग्राम बांधेवा तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर।		1. गुलाम खां पुत्र सुलेमान खां 2. जगीसा पत्नी सुलेमान खां 3. सकीनो पत्नी गुलाम खां सर्वे जातियान मुसलमान निवासी ग्राम बांधेवा तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर। 4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, फलसूण्ड जिला जैसलमेर।

अधिवक्ता :

1. श्री ए. आर. मेहर अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री किशन प्रताप सिंह राठौड़ रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03
3. ना0 तहसीलदार (पैरोकार राज) रेस्पोडेण्ट संख्या 04

दिनांकः— 11.03.2026

—::निर्णय::—

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बविरूद्ध ग्राम बांधेवा तहसील फलसूण्ड के नामान्तकरण संख्या 1028 दिनांक 30.05.2023 एवं 1035 दिनांक 30.06.2023 में तहसीलदार, फलसूण्ड के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध

अपील के संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बांधेवा तहसील फलसूण्ड, जिला जैसलमेर में कृषि भूमि खसरा संख्या 294 रकबा 0.0647 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 295 रकबा 14.0911 हैक्टेयर के 1/3 भाग के खातेदार इलमदीन पुत्र सुलेमान खां, 1/3 भाग के खातेदार गुलाम खां पुत्र सुलेमान खां तथा 1/3 भाग के खातेदार जगीसा पत्नी सुलेमान खां रहे है। इसी प्रकार ग्राम बांधेवा की कृषि भूमि खसरा संख्या 333 रकबा 36.3407 हैक्टेयर के 1/6 भाग के खातेदार इलमदीन पुत्र सुलेमान खां, 1/6 भाग के खातेदार गुलाम खां पुत्र सुलेमान खां व 1/6 भाग के खातेदार जगीसा पत्नी सुलेमान खा रहे है। पक्षकारान् सुलेमान खां के वारिस रहे है। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 जगीसा अपीलांटगण की दादी एवं मृतक इलमदीन की माता है। तहसीलदार, फलसूण्ड द्वारा नामान्तकरण संख्या 1028 स्वीकार कर रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के जीवित होते हुए उसका सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के नाम दर्ज कर दिया जो कानूनन सही नहीं है। अपीलांट ने अपील में कथन किया है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 जगीसा का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा विलुप्त कर हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के नाम दर्ज करने का आदेश देने के कोई अधिकार तहसीलदार को नहीं थे। विना किसी वैध हस्तान्तरण पत्र के इस तरह का इन्द्राज परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिकारों का कोई हस्तान्तरण हुआ ही नहीं है। नामान्तकरण संख्या 1028 में वर्णित दस्तावेज दिनांक 18.05.2023 एक हकतर्कनामा का दस्तावेज होना बताया गया है। जबकि किसी एक सह खातेदार के पक्ष में इस तरह का दस्तावेज अन्य सह खातेदार द्वारा कानूनन निष्पादित नहीं किया जा सकता है। ऐसा दस्तावेज किसी एक सह खातेदार द्वारा अन्य सभी सह खातेदारों के पक्ष में ही निष्पादित किया जा सकता है। यदि किसी एक सह खातेदार के पक्ष में ऐसा हकतर्कनामा का दस्तावेज निष्पादित किया गया है तो वह शून्य है एवं ऐसे दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण की काई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उप पंजीयक, फलसूण्ड द्वारा

जिला कलक्टर
जैसलमेर

इस कानूनी स्थिति का परीक्षण किये बिना पहले दस्तावेज का पंजीयन कर दिया एवं फिर उसके आधार पर नामान्तकरण स्वीकार कर दिया जिसे अपीलांट द्वारा निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।
अपीलाटगण द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 1028 दिनांक 30.05.2023 एवं नामान्तकरण संख्या 1035 दिनांक 30.06.2023 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।
अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी होने तथा इसकी नकल प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।
अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 01से 03 वक्त बहस अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से अपील अन्दर म्याद सुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी मौखिक बहस में अपील में वर्णित तथ्यों एवं आधारो को दोहराते हुए निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 1028 में वर्णित दस्तावेज दिनांक 18.05.2023 एक हकतर्कनामा का दस्तावेज होना बताया गया है। जबकि किसी एक सह खातेदार के पक्ष में इस तरह का दस्तावेज अन्य सह खातेदार द्वारा कानूनन निष्पादित नहीं किया जा सकता है। ऐसा दस्तावेज किसी एक सह खातेदार द्वारा अन्य सभी सह खातेदारों के पक्ष में ही निष्पादित किया जा सकता है। यदि किसी एक सह खातेदार के पक्ष में ऐसा हकतर्कनामा का दस्तावेज निष्पादित किया गया है तो वह शून्य है एवं ऐसे दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण की काई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1028 दिनांक 30.05.2023 एवं नामान्तकरण संख्या 1035 दिनांक 30.06.2023 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया कि आलोच्य नामान्तकरण पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर खोला गया है और पंजीबद्ध दस्तावेज आज दिनांक तक वैध है। अतः अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 04 की ओर से पैरोकार राज के द्वारा निवेदन किया गया कि आलोच्य नामान्तकरण खोले जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।
उभयपक्षों की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि चूंकि नामान्तकरण संख्या 1028 कार्यालय उप पंजीयक फलसूण्ड में दिनांक 18.05.2023 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 58 के पृष्ठ संख्या 124 में क्रम संख्या 202303433100362 पर पंजीबद्ध हकतर्कनामा होने एवं नामान्तकरण संख्या 1035 कार्यालय उप पंजीयक फलसूण्ड में दिनांक 13.06.2023 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 59 के पृष्ठ संख्या 66 में क्रम संख्या 202303433100504 पर पंजीबद्ध दान पत्र है। उक्त पंजीबद्ध दस्तावेजो के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किये गये है। कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक मूल आदेश (पंजीबद्ध हकतर्कनामा एवं पंजीबद्ध दानपत्र) को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तक आलोच्य नामान्तकरण में हस्तक्षेप किये जाने पर कोई उपादेय परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में आलोच्य नामान्तकरण में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
अतः उक्त विवेचित स्थिति में अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य नामान्तकरण यथावत रखे जाते है। उभय पक्ष अपना–अपना व्यय स्वंय वहन करें।
निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
जैसलमेर